मियोड़ी बनाम रामनिवास वगैराह
दावा क्रमांक 07/2023
जीसीएमएस क्रमांक 2023/11

— : आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिकी निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादीनी मियोंड़ि के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खियांला के खेत खसरा नम्बर 523 रकबा 0.9065 हैक्टेयर पूरा एवं खसरा नम्बर 544 रकबा 1.1574 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. प्रतिवादी रामनिवास के हक बंट में मौजा खियांला के खेत खसरा नम्बर 3017/526 रकबा 1.2667 हैक्टेयर पूरा, खसरा नम्बर 522 रकबा 2.8328 हैक्टेयर में से रकबा 0.7848 हैक्टेयर पश्चिमि हिस्सा माफिक नजरी नक्शानुसार रखा खातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. प्रतिवादी किसनी देवी के हक बंट में मौजा खियांला के खेत खसरा नम्बर 522 रकबा 2.8328 हैक्टेयर में से रकबा 2.0480 हैक्टेयर पूर्वि हिस्सा माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर सहखातेदारी की घोषणा कि जाती है।
4. मौजा खिंयाला के खेत खसरा नम्बर 3017/526 व 522 की उत्तरी सींव के पास—पास आवगमन हेतु किसनीदेवी व मियोड़ि के हक बंट में रास्ता हेतु घोषित किया जाता है।
5. उक्त खसरान में से बैक के रहन खसरा का रहन यथावत रहेगा। सूचित रहे। माफिक वांदपत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा डिक्रि आदेश का भाग रहेगा।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 29-09-23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

III

Scanned with CamScanner